न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) : 05/2022
दायर दिनांकः 25.03.2022
निर्णय दिनांक 07.11.2025

:: अनवान ::

1. श्रीमती मेहताब कुंवर पत्नी श्री रतन सिंह जी राजपूत, उम्र 40 वर्ष निवासी – आर्शीवाद नगर, रेल्वे स्टेशन के पास, वार्ड नम्बर 27, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती कंचन कुंवर पत्नी श्री गोविन्द सिंह जी राजपूत, उम्र 41 वर्ष, निवासी आमली का कुंआ, देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्रीमती धापू कुंवर पत्नी श्री अजीत सिंह जी राजपूत, उम्र 30 वर्ष, निवासी – आमली का कुंआ, देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्रीमती लाड कुंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जी राजपूत, उम्र 37 वर्ष, निवासी– आमली का कुंआ, देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री पुरण पिता स्व. लोगर जी भील, उम्र बालिग, निवासी–देपुर (नाला), मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री किशन पिता स्व. लोगर जी भील, उम्र बालिग, निवासी -- देपुर (नाला), मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री भंवरलाल पिता स्व. लौगर जी भील, उम्र बालिग, निवासी – देपुर (नाला), मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्रीमती तुलसी पुत्री स्व. लोगर जी भील, उम्र बालिग, निवासी – देपुर (नाला), मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमती तारा पुत्री स्व. लोगर जी भील, उम्र बालिग, निवासी – देपुर (नाला), मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्रीमती देऊ बाई पुत्री स्व. लोगर जी भील, उम्र बालिग, निवासी – देपुर, मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री ख्यालीलाल पिता श्री डालू जी भील, उम्र बालिग, निवासी – नाडा बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज0)

— विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भुमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने अन्त्योदय आवंटन पत्रावली सख्या 261/77 दिंनाक 10/10/1977</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1— श्री भंवर सिंह राव, अधिवक्ता प्रार्थी, अनुपस्थित।

2— श्री अक्षय पालीवाल अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 07 उपस्थित।

3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 08 उपस्थित

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियमन 1970 विरूद्ध आदेश क्रमांक 261/77 दिनांक 10.10.1977 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द की खसरा नम्बर 654 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 1221/654 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 6 तक के पिता लोगरिया उर्फ लोगर पिता वरदा भील एवं आराजी सख्या 654 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 1230/654 में से 3 बीघा भूमि को आवंटन विपक्षी सख्या 1 से 6 के दादा वरदा पिता पेमा जी भील को गलत किया गया है क्योकि विपक्षी सख्या 1 से 6 के पिता लोगरिया उर्फ लोगर पिता वरदा भील व दादा वरदा पिता पेमा भील भूमिहीन काश्तकार नहीं है। उक्त आराजी नम्बर के वर्तमान आराजी नम्बर 1221/654, 1230/654 है उक्त वर्णित आराजी सख्या 654 वर्तमान आराजी नम्बर 1221/654, 1230/654 एंव आराजी नम्बर 1230/654 को 1229/654 राजस्व रेकर्ड में टंकन त्रुटि के कारण गलत अंकित हो गई, जो की गैर सरकारी भूमि होकर बीलानाम सरकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा उक्त भूमि चाराजोही भूमि होकर गांव के मवेशी उक्त भूमि पर चरते है। विपक्षी सख्या 1 से 6 एवं विपक्षी सख्या 1 से 6 के पिता व दादा का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है एवं नहीं वर्तमान में है। किन्तु आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा, द्वारा सहवन से बगैर मौका की वस्तुस्थिति का ज्ञान किये ही उक्त जमीन को विपक्षी सख्या 1 से 6 के पिता व दादा को आवंटन दिनांक 10/10/1977 को कर दी। जबकि उक्त जमीन पर विपक्षी सख्या 1 से 6 के पिता एवं दादा के कब्जे में नहीं थीं एवं नहीं आवंटन होने के पश्चात् ही उनका कोई कब्जाकाश्त रहा है। केवल मात्र आवंटन की वजह से राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता व दादा का नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज कर दिया गया जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अन्त्योदय आवंटन आदेश न्याय एवम् विधि के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित गत आराजी नम्बर 654 वर्तमान आराजी नम्बर 1221 / 654, 1230 / 654 जो की चाराजोही भूमि है जिस पर आज तक किसी के द्वारा काश्त नहीं किया गया है एवं वर्तमान में भी भूमि खाली अवस्था में है विपक्षी सख्या 1 से 6 के पिता व दादा ने चुपके चुपके उक्त भूमि को अपने नाम से आवंटित करवा ली जिसका की उन्हें कोई हक व अधिकार नही था। विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता व दादा की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 6 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई जो की गलत एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर दर्ज की गई है। उक्त भूमि पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से जैसी थी उसी अवस्था में पडी हुई है। परन्तु विपक्षी सख्या 1 से 6 व उसके पिता एवं दावा ने धोखे से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से मिसरिप्रजेन्टेशन कर गलत तथ्य बताकर भूमि को विपक्षी सख्या 1 से 6 व उसके पिता एवं दादा ने अपने पक्ष में आवंटित करवा ली एवं विपक्षी सख्या 1 से 6 ने अपने नाम नामान्तरण करवाने के पश्चात् उक्त भूमि विपक्षी सख्या 7 को विक्रय पत्र पंजीयन से विक्रय कर दी जबकि अन्त्योदय आवंटन के तहत बिलानाम सरकार भूमि जब किसी को आंवटित की जाती है तो उक्त भूमि पुनः वह व्यक्ति अन्यत्र को विक्रय नहीं कर सकता हैं आवंटन अधिकारी द्वारा कोई सूचना जारी नहीं की गई नही मौका देखा गया, नही आवंटन सलाहकार समिति की कोई बैठक ही हुई आवंटी को आवटंन की पात्रता भी प्राप्त नहीं थी तथा भूमिहीन काश्तकार भी नहीं थे उक्त भूमि रास्ते पर स्थित है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता क्योकि कानून राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार किसी भी सडक के 50 गज की सीमा में स्थित कोई भी भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। दिंनाक 10 / 01 / 2022 को विपक्षी सख्या 7 के साथीगण जो की भूमाफिया है उक्त भूमि पर जेसीबी मशीन लेकर आये और 20–25 बीघा भूमि पर खडे हुऐ हरे भरे वृक्षो को उखाड दिया जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त व्यक्ति को कहा की भूमि पर जेसीबी मशीन क्यो चला रहे है ये तो सरकारी भूमि है तो भूमाफियाओ ने प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने लगे ओर कहने लगे की ये सम्पूर्ण भूमि हमने खरीद ली है ओर अब इस पर हमारा कब्जा है ओर हमारे काम में रूकावट पैदा की तो जान से हाथ धोना पडेगा जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार, पटवारी आदी से जानकारी ली व प्रार्थीगण ने अविलम्ब दिंनाक 13 / 01 / 2022 को आवंटन की पत्रावली की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस नकल दिंनाक 17 / 01 / 2022 को नकल प्राप्त हुई जिससे यह प्रार्थना पत्र अविलम्ब आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण सपरिव्यय स्वीकार फमराया जाकर विपक्षी सख्या 1 से 6 के पक्ष में ग्राम देपुरा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 1221 / 654 रकबा 3 बीघा भूमि, 1230 / 654 रकबा 3 बीघा भूमि जो की टंकन त्रुटि से 1229 / 654 अंकित हुआ है का आंवटन आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा इस आवटंन की पालना में विपक्षी सख्या 1 से 6 के पक्ष में निर्णित नामान्तरण सख्या 26 एवं 47 ओर इस मूल

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

नामान्तरणकरण के बाद निर्णित पश्चातवर्ती सभी नामान्तरणकरण निरस्त फरमाये जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करायी जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल ने उपस्थित दी तथा विपक्षी संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मियाद से बाधित पाया गया परन्तु प्रकरण में न्यायहित में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होने से पत्रावली को गुणावगुण पर सुना गया।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्व ग्राम देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द के स्थित खसरा संख्या 654 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान आराजी संख्या 1221/654 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता लोगरिया उर्फ लोगर पिता वरदा भील एवं आराजी संख्या 654 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा के हाल आराजी नंबर 1230/654 में से 3 बीघा भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 6 के दादा वरदा पिता पेमा जी भील के पक्ष में किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण को काश्तकार नही माना है। राजस्व रिकॉर्ड में हुए रिकॉर्ड की टंकन त्रुटी बताई है और विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता व दादा का उक्त आराजियात का कभी कब्जा काश्त नही होकर काश्त नही करने का तथ्य प्रस्तुत किये है जो किसी प्रकार से सही नही है, गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा विपक्षी संख्या 7 को उक्त आराजियात उनके नाम पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के पश्चात् दिनांक 10 जनवरी 2012 को विक्रय कर दी। जिसके पश्चात् से उक्त जमीन पर कब्जा विपक्षी संख्या 7 का ही चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजियात दिनांक 10.10.1977 को विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता व दादा के नाम पर आवंटित हुई तब भी प्रार्थीगण का जन्म ही नही हुआ था। सन् 1977 में उक्त आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता व दादा का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ उस समय भी गांव के किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार की आपत्ति नही की थी, जिसके बाद इतने वर्षों से उक्त भूमि पर काश्त करने के साथ ही विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता व दादा का नाम गैर खातेदार से बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुआ। उक्त आराजियात पर विपक्षीगण सदैव से काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का भी हवाला दिया गया है कि वहां पर गांव के मवेशी चरते है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में भी केवल कुछ लोगो द्वारा उक्त भूमि को हडपने की बदि्नयती के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें भी गांव के किसी अन्य व्यक्ति को कोई

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

उजर आपत्ति हो ऐसा कोई जिक्र नही किया है जिस कारणवश यह प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से चलने योग्य नही है। उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन के 45 वर्षों बाद पेश हुआ है जो मयाद बाधित है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मयाद अधिनियम के अन्तर्गत मयाद के प्रावधानो का कठोर व्याख्या (Strict Interpretation) किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षी द्वारा अपने बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Maxium of Delay and Laches मे अन्तर्गत यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने अधिकारो पर सो रहा है तो यह माना जायेगा कि वह अपने अधिकारो का परित्याग कर चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से यह तथ्य स्वयं ही साबित होता है कि उक्त आवंटन के समय प्रार्थीगण में से न तो कोई मौजुद था न ही किसी का जन्म हुआ था ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सारहिन तथ्यो पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त रेवेन्यू बोर्ड में न्यायालय ने उक्त तथ्य को सुस्थापित किया है कि जहां पर व्यक्ति के नाम कोई सरकारी भूमि आवंटित होती है और उक्त जमीन में आवंटित व्यक्ति का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो जाता है तो अन्य किसी व्यक्ति को इस कृषि आवंटन की धारा 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है यदि कोई लाता है तो सारहिन होने से निरस्त होने योग्य है। इसके पश्चात् भी प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो पर विपक्षी को परेशान करने और उक्त आराजियात को हडपने की बद्नियति से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जहां पर विपक्षी संख्या 1 से 6 ने सन् 2012 में विपक्षी संख्या 7 को उक्त आराजियात को विक्रय कर दी उसके 10 साल पश्चात् प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कथन किया कि ग्राम देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द की खसरा नम्बर 654 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 1221/654 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन विपक्षी सख्या 1 से 6 तक के पिता लोगरिया उर्फ लोगर पिता वरदा भील एवं आराजी सख्या 654 रकबा 14 बीघा 15 बिस्व भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 1230/654 में से 3 बीघा भूमि को आवंटन विपक्षी सख्या 1 से 6 के दादा वरदा पिता पेमा जी भील को राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ 1970 के तहत विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया तथा उसके पश्चात् आवंटी द्वारा शर्तो पालना करने पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) को खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में कृषि भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 10.01.1975 को निरस्त कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

प्रकरण कृषि भूमि के आवंटन के 45 वर्षो पश्चात प्रस्तुत किया गया है तथा इसके साथ में धारा 5 का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा मियाद अधिनियम के तहत इसमें राहत मांगी गयी है। इसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 10.01.2022 को विपक्षी संख्या 7 के साथीगण भूमि पर जेसीबी लेकर आए तो उन्हें उक्त भूमि के आवंटन होने का पता चला और प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.01.2022 को नकल प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। मियाद अधिनियम धारा 5 के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रार्थीगण के पास 45 वर्ष पश्चात प्रस्तुत करने का कोई समुचित आधार प्रकट नहीं हुआ है, साथ ही प्रार्थी द्वारा जो नामान्तरकरण की प्रति प्रस्तुत की गयी है उसमें यह स्पष्ट है कि दिनांक 10.01.1975 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक बैठक आयोजित की जाकर यह आवंटन किया गया। यह आवंटन एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री लोगरिया पिता वरदा को 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 श्री लोगरिया के वारीसान है तथा श्री लोगरिया मृत्यु होना पत्रावली से जाहिर हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ने वर्ष 2012 में खातेदारी अधिकार प्राप्त करके इस भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र एक अन्य जनजाति के व्यक्ति श्री ख्यालीलाल पिता श्री डालूजी भील को कर दिया गया है। प्रार्थी ने कहा है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के पिता व दादा ने चुपके चुपके राजस्व कर्मचारियो व पटवारियो से मिलीभगत करके आवंटन कराया है पर यह लिखे जाने का कोई भी आधार प्रकट नहीं हुआ है। क्योंकि 45 वर्ष पूर्व किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जो अन्त्योदय परिवार से है उसने उपखण्ड अधिकारी, प्रधान, सरपंच, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी जो की सभी आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य होते है। सबसे जब नियमानुसार आवंटन कराया हो तो यह कहने का कोई आधार साबित नहीं हुआ है कि किस प्रकार से चुपके चुपके यह आवंटन किया गया हो। इस संबंध में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एसबी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 12808/2020/ में दिये गये निर्णय दिनांक 08.02.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें भी यह निर्णित किया गया है कि 17 वर्षो पश्चात इस तरह की अपील कर दिये जाने का कोई आधार नहीं होता कि इतने समय की छुट इस तरह के प्रकरणों में दे दी जाए।

अतः यदि हम मियाद के संदर्भ में बात करे तो यह प्रार्थना पत्र 45 वर्ष पश्चात प्रस्तुत हुआ है जो कि मानने योग्य नहीं है तथा साथी ही अगर गुणावगुण पर बात करे तो अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा एक न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1986 पेज नं. 137 भी प्रस्तुत किया गया है इसमें यह स्पष्ट रूप से निर्णित किया गया है कि जिस आवंटी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाते है उसके विरूद्ध 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस प्रकरण में न केवल अप्रार्थीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए वरन् उनके द्वारा यह भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति, विपक्षी संख्या 7 को भी विक्रय की जा चुकी है। अतः इस प्रकरण में राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कोई न्यायिक आधार इस प्रार्थना पत्र में प्रकट नहीं होता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विचाराणीय प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा साथ ही इस संबंध में तहसीलदार को यह निर्देशित किया जाता है कि कि यदि इस कृषि भूमि का कोई भाग राष्ट्रीय राजमार्ग या सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई सड़क या मार्ग अधिकार में कोई आता हो तो उसका स्पष्ट रूप से अंकन कर उसे बिलानाम करने की कार्यवाही की जावे। तथा शेष भूमि उसी अनुसार अप्रार्थीगण की रहेगी।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)